अध्याय-III
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा

शिक्षा विभाग

3.1 श्रम उपकर की कटौती नहीं किए जाने के कारण अधिक भुगतान एवं दायित्व का सृजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा श्रम उपकर की कटौती नहीं किये जाने के कारण विद्यालय शिक्षा समिति को ₹82.10 करोड़ का अधिक भुगतान और दायित्व का सृजन हुआ।

भारत सरकार द्वारा सितम्बर 1996 में अधिसूचित भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम एवं परिणामी बिहार सरकार के दिनांक 18 फरवरी 2008 के अधिसूचना के अनुसार, निर्माण कार्यों में संलग्न सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को अभिकरणों के विपत्रों की राशि का एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर की कटौती करनी थी और उसे कटौती के 30 दिनों के अंदर रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (कल्याण बोर्ड) के खाते में प्रेषित करना था।

लेखापरीक्षा जाँच में उद्घटित हुआ कि बिहार में वर्ष 2010–2017 के दौरान 38 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (जि0का0प0), सर्व शिक्षा अभियान ने निर्माण कार्यों पर ₹8,350.29 करोड़ का भुगतान किया। जबकि, ₹83.50 करोड़ के श्रम उपकर के विरूद्ध जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों ने कार्यान्वित अभिकरणों (विद्यालय शिक्षा समितियों) के विपत्रों से मात्र ₹1.40 करोड़ की कटौती की थी, जिसे कल्याण बोर्ड को प्रेषित किया गया। इसके परिणामस्वरूप कार्यान्वित अभिकरणों को अधिक भुगतान एवं कल्याण बोर्ड के लिए ₹82.10 करोड़ के दायित्व का सृजन हुआ। विवरण ***परिशिष्ट–3.1*** और ***परिशिष्ट–3.2*** में दिया गया है।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बि0शि0प0प0) ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को श्रम उपकर की शेष राशि की गणना, कटौती एवं प्रेषण के लिए निर्देश (जुलाई 2017) जारी किया। आगे कहा (अगस्त 2017) कि उपकर का प्रावधान अनुसूचित दरों में किया गया था (15 जून 2011 से प्रभावी)। अतः श्रम उपकर की कटौती अनिवार्य थी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इसके कटौती एवं कल्याण बोर्ड में जमा करने हेतु उत्तरदायी थे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया (जून 2017); स्मार–पत्रों (सितम्बर 2017 और जनवरी 2018) के बावजूद भी उनका जवाब अप्राप्त था।

श्रम संसाधन विभाग

3.2 अनुदान का अनियमित एवं अनधिकृत वितरण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (भ0अ0स0क0) नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन (नि0से0श0वि0) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भवन निर्माण/मरम्मत तथा उपकरणों/साइकिलों के क्रय के लिए अनियमित रूप से ₹76.47 करोड़ अनुदान के रूप में वितरित किया।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा की शर्तों के विनियमन अधिनियम 1996, जो भारत सरकार द्वारा 1 मार्च 1996 को लागू किया गया, के अनुसार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु अधिकृत किया गया।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि श्रम विभाग ने एक अनुदान योजना[1] शुरू किया (जुलाई 2011), जिसके विरूद्ध कल्याण बोर्ड ने 53,830 कर्मकारों को भवन निर्माण/मरम्मत एवं उपकरणों/साइकिलों[2] के क्रय हेतु ₹80.75 करोड़ का अनुदान वितरित किया (***परिशिष्ट–3.3***)। इस प्रकार का वितरण अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन है जो कि उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अनुदान प्रावधानित नहीं करता था (अधिनियम में केवल भवन निर्माण हेतु ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी और इसमें उपकरणों तथा साइकिलों के क्रय के लिय न तो ऋण और न ही अनुदान शामिल था)।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2017) कि भ0अ0स0क0 (नि0से0श0वि0) नियमावली 2005 में उपर्युक्त अनुदान प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन संबंधी अधिसूचना प्रकाशित[3] की गई थी (सितम्बर 2016)। विभाग ने आगे कहा कि ऐसे अनुदान धारा 22 (1)(ज) के तहत था जो बोर्ड को ऐसे अन्य कल्याणकारी उपायों एवं सुविधाओं जैसा कि वर्णित हो, के संबंध में प्रावधान करने एवं सुधार हेतु प्राधिकृत करता है। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है, चूंकि यह अनुच्छेद 22 (1)(ज) की दुर्व्याख्या है। आगे, वर्ष 2006 के रिट याचिका (सिविल) सं0 318 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश दिया (23 सितम्बर 2015) कि अधिनियम के अधीन किसी भी उपकर की राशि का संग्रहण और अधिनियम के धारा 22 के अधीन अधिदेशित प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनों के लिए किए गए उपयोग की राशि को राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रतिपूर्ति करना था एवं अनुपालन प्रतिवेदन मंत्रालय को भेजा जाना था। यह अभी तक किया जाना है।

---

[1] *भवन निर्माण/मरम्मति के लिए (₹10000) और उपकरणों/साइकिलों के क्रय (₹5000) के लिए एक बार एकमुश्त राशि ₹15000 का अनुदान*

[2] *इसके विरूद्ध 50983 कर्मकारों को ₹76.47 करोड़ का भुगतान किया गया (मार्च 2017) और शेष ₹4.28 करोड़ बोर्ड के खाते में पड़े हुए थे।*

[3] *विधान सभा (दिसम्बर 2016) एवं विधान परिषद (दिसम्बर 2017) में रखा गया।*

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

3.3 अधिक भुगतान

लोक स्वास्थ्य प्रमडंल, बिहारशरीफ ने संवेदक को ₹8.47 करोड़ का अधिक भुगतान किया क्योंकि बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली 2005 और विश्व बैंक उधारकर्ताओं के दिशा–निर्देशों के तहत आवश्यक मूल्य परिवर्तन अनुच्छेद को अनुबंध में शामिल नहीं किया गया था।

बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली, 2005 (बि0वि0नि0) के नियम 30(viii)(क) और (viii) (घ) सह–पठित विश्व बैंक उधारकर्ताओं[4] के दिशा–निर्देशों के अनुच्छेद 2.24 एवं 2.25 प्रावधानित करते हैं कि खरीददार को मूल्य में आई कोई कमी का लाभ लेने हेतु अनुबंध में मूल्य समायोजन अनुच्छेद के रूप में एक प्रावधान डालना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि अनुबंध 18 माह से अधिक अवधि का हो तो उस अनुबंध में मूल्य समायोजन के प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए। आगे विश्व बैंक उधारकर्ताओं के दिशा–निर्देशों के अनुच्छेद 2.24 एवं 2.25 के अनुसार असामान्य परिस्थितियों में ही आपूर्तिकर्ताओं या संवेदकों द्वारा प्रदत्त दस्तावेजी साक्ष्यों (वास्तविक अभिश्रवों सहित) के आधार पर ही संविदा दस्तावेजों में मूल्य समायोजन को शामिल किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता (का0अभि0), लोक स्वास्थ्य (लो0स्वा0) प्रमंडल, बिहारशरीफ के अंतर्गत विश्व बैंक सहायतित[5] निम्न–आय के राज्यों हेतु बिहार ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (बि0ग्रा0ज0स्व0परि–नि0आ0रा0) के अभिलेखों के जाँच में उद्घटित हुआ कि मुख्य अभियंता, लो0स्वा0अ0वि0, पटना क्षेत्र ने सिलाव बहु–ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के रूपांकन, प्रवर्तन एवं रखरखाव, जिसमें सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दो लगातार वर्षों के लिए मूल्य परिवर्तन का प्रावधान भी शामिल था, के लिए ₹58.12 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (त0स्वी0) प्रदान किया था (अक्टूबर 2013)। ₹73.22 करोड़[6] पर जो कि त0स्वी0 से 25.97 प्रतिशत अधिक दर पर था। अनुबंधित अभिकरण के साथ एकरारनामा कार्यान्वित किया गया (20 अगस्त 2014) तथा कार्य अगस्त 2017 तक पूर्ण किया जाना था।

कार्य से संबंधित अभिश्रवों एंव स्थल लेखाओं की संवीक्षा ने उद्घटित किया कि अभिकरण ने डी0आई0 स्पन पाइप के–7 का उपयोग किया था, जिसकी दरें तकनीकी स्वीकृति में अनुमोदित दरों से कम थी। जबकि, विश्व बैंक उधारकर्ताओं के लिए दिए गए दिशा–निर्देशों एवं बि0वि0नि0 में प्रावधानित किए जाने के बावजूद भी प्रमंडल ने पाइपों के मूल्य को सामंजित नहीं किया और ₹40.10 करोड़ का भुगतान अभिकरण को प्राक्कलन के दर पर कर दिया (मार्च 2017 तक)। आपूर्ति किए गए पाइपों के मूल्य में कुल अंतर ₹8.47 करोड़ था, जो **तालिका 3.1** में वर्णित हैः–

---

[4] *आई0बी0आर0डी0 ऋण और आई0डी0ए0 जमाधन एवं अनुदान के तहत विश्व बैंक उधारकर्ताओं द्वारा सामग्रियों, कार्यों की अधिप्राप्ति और गैर परामर्शी सेवाएँ।*

[5] *यह योजना अंतराष्ट्रीय विकास संघ (आई0डी0ए0) के जमाधन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जो विश्व बैंक के रियायती ऋण शाखा है।*

[6] *विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना होने के कारण विभाग ने विश्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) मांगा और एन0ओ0सी0 प्राप्त होने के बाद विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति ने दर को मंजूरी दिया।*

तालिका–3.1: एजेंसी को अधिक भुगतान

क्रम सं0	पाइपों का व्यास मि0मी0 में	माप पुस्त के आधार पर आपूर्तित मात्रा (मीटर में)	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार दर (₹ प्रति मीटर में)	अनुबंध के अनुसार दर (कॉलम 4x25.97 प्रतिशत) प्रति मी0 में)	उपरिव्यय एवं संवेदक का लाभ[7] पर 10 प्रतिशत जोडने के पश्चात बीजकों का दर (₹ प्रति मीटर में)	दर का अन्तर	अधिक भुगतान (₹ करोड़ में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7(5-6)**	**8 (7x3)**
1	400	20,552.50	4,411.80	5,557.54	3,893.96	1,663.58	3.42
2	350	3,360.00	3,671.94	4,625.54	3,237.34	1,388.20	0.47
3	300	2,327.00	2,940.06	3,703.59	2,539.29	1,164.30	0.27
4	250	4,926.00	2,316.48	2,918.07	1,984.40	933.67	0.46
5	200	14,735.00	1,759.02	2,215.84	1,500.40	715.44	1.05
6	150	19,342.00	1,386.24	1,746.25	1,210.00	536.25	1.04
7	100	7,324.00	940.50	1,184.75	865.80	318.95	0.23
8	080	36,087.00	929.10	1,170.39	747.66	422.73	1.53
कुल							**8.47**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार (विभाग) ने कहा (सितम्बर 2017) कि अनुबंध के अनुसार ही राशि का भुगतान किया गया और एजेंसी द्वारा कम दर पर पाइप की खरीद, जैसा कि अभिश्रव में दर्शाया गया है, संबंधित अनुबंध से कोई लेना–देना नहीं है। अतः किसी प्रकार का अधिक भुगतान नही किया गया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित डी0आई0 पाइपों का मूल्य अभिश्रवों में वर्णित मूल्यों से बहुत अधिक था। कार्य में उपयोग किये जाने वाले पाइपों के मूल्यों की बढोतरी के मद्देनजर सशक्त समिति ने भी बीड को स्वीकृत प्राक्कलन से 25.97 प्रतिशत अधिक पर अनुमोदित किया था।

अतः बिहार वित्तीय नियमावली के मूल्य भिन्नता से संबंधित अनुच्छेद में दिये गये मूल्य भिन्नता संबंधित प्रावधानों तथा विश्व बैंक उधारकर्ताओं से संबंधित दिशा–निर्देशों को समझौते में शामिल नहीं किये जाने के कारण प्रमंडल पाइपों के वास्तविक लागत के आधार पर संवेदक के भुगतान को सीमित नहीं कर सका, जिससे ₹8.47 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

[7] *उपरिव्यय और संवेदकों के मुनाफे 2012 के दरों की अनुसूची में प्रति 10 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध कराया गया, जो संचयी रूप से 21 प्रतिशत है।*

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

3.4 *जमानत जमा–राशि और असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली न होना तथा जोखिम एवं लागत राशि की वसूली न होने के कारण अतिरिक्त भार*

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जमानत जमा–राशि तथा असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम ₹1.43 करोड़ एवं अपूर्ण कार्य को पूरा करने हेतु आवश्यक अंतर राशि ₹10.05 करोड़ की वसूली करने में असफल रहा।

मानक निविदा दस्तावेज (मा0नि0द)[8] का उपबंध 14 यह विदित करता है कि अनुबंध रद्द होने की स्थिति में अपूर्ण कार्य संवेदक के जोखिम एवं लागत से पूर्ण की जाएगी। कार्य पूर्णता में सरकार द्वारा किया गया अथवा किया जाने वाला अतिरिक्त व्यय अथवा सरकार को अधिक हानि या क्षति की वसूली संविदा के प्रावधान के अनुसार संवेदक को देय राशियों से अथवा स्वयं संवेदक से की जायेगी।

विभागीय लोक स्वास्थ्य प्रमडंलों[9] के अभिलेखों के नमूना–जाँच से प्रकट हुआ कि मुख्य अभियंता (मु0अभि0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (लो0स्वा0अभि0वि0) ने बिहार के 12 जिलों[10] के ग्रामीण क्षेत्रों के 270 लघु जलापूर्ति योजना (ल0ज0यो0) का रूपांकन, निर्माण एवं चालू करने का कार्य विद्युत मोटर पम्प के साथ कुल राशि ₹41.53 करोड़[11] में टर्नकी आधार पर एक एजेंसी[12] को आवंटित (जनवरी 2011) किया। लो0स्वा0अभि0वि0 की ओर से लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर एवं एजेंसी के बीच सभी 12 जिलों में जनवरी 2012 तक कार्य पूरा करने हेतु एकरारनामा (जनवरी 2011) किया गया।

कार्यों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एजेंसी द्वारा केवल 183 योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया जिसमें 26 को पूर्ण किया गया, वहीं 157 योजनाएं आंशिक रूप से किये गये। शेष 87 योजना पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। इस प्रकार, 244 योजनाओं पर या तो कार्य प्रारंभ नहीं किया गया या पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता के स्मार–पत्रों (अक्टूबर 2012 एवं नवम्बर 2012) के बावजूद भी, एजेंसी ने कार्य में प्रगति लाने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाया। कार्य की धीमी प्रगति के कारण विभाग द्वारा एकरारनामा निरस्त (अक्टूबर 2014) कर दिया गया एवं ₹83.06 लाख की जमानत जमा–राशि की जब्ती का आदेश दिया (अक्टूबर 2014), जिसे, हालांकि किया नहीं जा सका क्योंकि जमानत जमा–राशि के विरूद्ध बैंक गारंटी तिथिवाद (सितम्बर 2014) हो चुकी थी।

बाद में, विभाग के निर्देशों (अक्टूबर 2014) के आलोक में संबंधित प्रमंडलों ने 93 योजनाओं के लिए निविदा (प्रमंडल–वार) जारी किया तथा विभिन्न एजेंसियों को शेष कार्य आवंटित किया। बचे हुए 151 योजनाओं[13] पर कार्यों का कार्यान्वयन स्थगित रखा गया ।

---

[8] *बिहार सरकार के संकल्प (मार्च 2008) के अनुसार ₹दो करोड़ से अधिक राशि का अनुबंध मानक निविदा दस्तावेज (मा.नि.द.) पर किया जाएगा।*

[9] *अररिया, बेतिया (प. चम्पारण), दरंभगा, ढाका (पूर्वी चम्पारण), गोपालगंज, खगड़िया, मधुबनी, मोतिहारी, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल।*

[10] *अररिया (20) , दरंभगा (25), पूर्वी चम्पारण (40), गोपालगंज (20), खगड़िया (15), मधुबनी (25), पूर्णिया (25), सहरसा (15), समस्तीपुर (25), शिवहर (20), सुपौल (15), पश्चिम चम्पारण (25)।*

[11] *₹15.38 लाख प्रति योजना।*

[12] *मे0 विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0।*

[13] *कुल 270 योजना – पूर्ण 26 योजना = 244 योजना; 244 अपूर्ण योजना – 93 निविदा किए गए योजना = 151 योजना।*

इसके परिणामस्वरूप 244 योजनाओं के पूर्णता में ₹10.05 करोड़[14] (***परिशिष्ट–3.4 एवं 3.5***) के अतिरिक्त दायित्व का सृजन हुआ।

विभाग ने कहा (जनवरी 2018) कि एजेंसी के साथ एकरारनामा निरस्त करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि बीड जमानत जमा एवं असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम की राशि की वसूली की जाएगी तथा कंपनी को पाँच वर्षों के लिए काली सूची में डाला जाएगा। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य समाप्ति की नियत तिथि के पाँच वर्ष से ज्यादा होने एवं अनुबंध के निरस्तीकरण के तीन वर्ष बाद भी, विभाग ₹1.43 करोड़[15] की जमानत जमा–राशि और असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम तथा अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु अंतर राशि ₹10.05 करोड़ की वसूली करने में असफल रहा। इसलिए यह अस्पष्ट है कि विभाग बीड जमानत जमा और असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली कैसे प्रस्तावित करेगा।

वित्त विभाग

3.5 अधिभार के भुगतान के कारण परिहार्य अधिक व्यय

वित्त विभाग ने पावर फैक्टर सीमाओं के अतिक्रमण से बचने के लिए कैपेसिटर का अधिष्ठापन न करने के कारण अधिभार के रूप में ₹1.91 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय किया।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (आयोग) के आदेश (दिसम्बर 2007) के संदर्भ में, आयोग के प्रासंगिक टैरिफ आदेश और उपभोक्ता एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी0एस0ई0बी0) तथा इसकी उत्तराधिकारी संस्थानों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में, उच्च शक्ति (एच0टी0) उपभोक्ताओं को 90 प्रतिशत या अधिक का औसत पावर फैक्टर बनाए रखने की आवश्यकता थी, ऐसा न कर पाने पर अधिभार के माध्यम से जुर्माना लगाया जाना था। जिसके लिए उपभोक्ताओं को अपने खर्चे पर अधिक पावर फैक्टर सीमाओं को कायम रखने के लिए कैपेसिटर[16] (बिजली खपत को नियंत्रित करने वाला उपकरण) का अधिष्ठापन करना था।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के लेखाओं के जाँच में उद्घटित (अप्रैल 2016) हुआ कि विभाग (एक एच0टी0 उपभोक्ता जिसमें 1500 के0वी0ए0 का भार है) ने अप्रैल 2012 से मार्च 2016 तक 1684.80 के0वी0ए0आर0[17] के कैपेसिटर स्थापित नहीं करने के कारण औसत पावर फैक्टर को नहीं बनाए रखा। परिणामस्वरूप, उक्त अवधि में विभाग ने 48 विपत्रों के मामले में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0)[18] को अधिभार के रूप में ₹1.91 करोड़[19] का भुगतान किया। अगर विभाग ने पहले ही कैपेसिटर अधिष्ठापन किया होता तो इस अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

---

[14] *157 योजनाओं के लिए ₹7.04 करोड़ + 87 योजनाओं के लिए ₹3.01 करोड़ = ₹10.05 करोड़*

[15] *जमानत जमा; ₹83.06 लाख और असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिमः ₹59.85 लाख*

[16] *कैपेसिटर संबद्ध मोटर या बिजली परिपथ में समानांतर जोड़ा जाना चाहिए तथा उपकरण वितरण बोर्ड पर लागू किया जा सकता है या औसत पावर फैक्टर का बनाए रखने एवं ग्रिड को स्थिर रखने के लिए अधिष्ठापन के स्रोत पर*

[17] *अधिष्ठापित किए जाने वाले कैपेसिटर का कुल लागत विधमान बाजार मूल्य के अनुसार ₹4.37 लाख (₹ 220 प्रति के0वी0ए0आर0 के दर पर + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0) था*

[18] *एस0बी0पी0डी0सी0एल0 भूतपूर्व बी0एस0ई0बी0 के उत्तराधिकारी संगठनों में से एक है*

[19] *₹0.48 करोड़ (वर्ष 2012–13), ₹0.52 करोड़ (वर्ष 2013–14), ₹0.36 करोड़ (वर्ष 2014–15) और ₹0.55 करोड़ (वर्ष 2015–16)*

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और बताया (जून 2017) कि तकनीकी सूचनाओं के अभाव में कैपेसिटर का अधिष्ठापन नहीं किया गया था। आगे बताया गया कि इस मामले में ऊर्जा विभाग ने न सूचित किया न ही कोई कार्रवाई की। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रासंगिक आदेशों तथा अनुबंधों के अनुसार और जैसा मुख्य अभियंता (व्यवसायिक) एस0बी0पी0डी0सी0एल0 द्वारा दोहराया गया (अगस्त 2017) कि ये उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है कि औसत पावर फैक्टर को बनाये रखने के लिए अपने खर्च पर कैपेसिटर का अधिष्ठापन करे।

इस प्रकार, विभाग द्वारा कैपेसिटर का अधिष्ठापन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप अधिभार के रूप में ₹1.91 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(नीलोत्पल गोस्वामी)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना
दिनांकः 2 नवम्बर 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 12 नवम्बर 2018